न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीना, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 14/2024 (जीसीएमस संख्या 2024/57)
सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड।

प्रार्थी,

बनाम

1. छीतर पुत्र स्व. श्री रामेश्वर, जाति–अहीर, निवासी–ग्राम पचार, तहसील–कालवाड।
2. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री रामेश्वर, जाति–अहीर, निवासी–ग्राम पचार, तहसील–कालवाड।
3. बंशी पुत्र स्व. श्री रामेश्वर, जाति–अहीर, निवासी–ग्राम पचार, तहसील–कालवाड।
4. प्रेम देवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर, जाति–अहीर, निवासी–ग्राम पचार, तहसील–कालवाड।
5. हनुमान पुत्र श्री दुर्गाराम, जाति–अहीर, निवासी–ग्राम पचार, तहसील–कालवाड।
6. गंगा पत्नी स्व. श्री सेडू, जाति–जाट, निवासी–ग्राम पचार, तहसील–कालवाड।
7. हणूताराम पुत्र श्री नानगराम, जाति–जाट, निवासी–ग्राम पचार, तहसील–कालवाड।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 30.04.2026**

तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–पचार की आराजी खसरा नं0 894 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 895 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 के कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में भूमि माफी पुन्यार्थ मंदिर काशीनाथ गुरू अंजनी नन्दन वल्द उम्मा दत्त जाति ब्राहाम्ण काशी मोहल्ला व शमती नाथ महादेव के नाम से दर्ज है। कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाश्त अंकित है जो सम्वत् 2022–2025 की जमाबन्दी के कॉलम 4 में भूमि माफी पुन्यार्थ मंदिर काशीनाथ गुरू अंजनी नन्दन वल्द उम्मादत्त जाति ब्राहाम्ण काशी मोहल्ला व शमती नाथ महादेव के इन्द्राज बिना किसी वैध

आदेश के विलोपित होकर कॉलम न0 4 में कृषक के रूप में आराजी खसरा नं0 894 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 895 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा दर्ज कर दिया गया । नामान्तरकरण संख्या 129 से विक्रय करने पर लादू पुत्र तुलसा गोविन्दा पुत्र दूला नाथू पुत्र रूग्गा सेडू पुत्र नानगा जाति जाटन् जमाबन्दी 2027–2029 पर दर्ज रिकार्ड है। गोविन्दा पुत्र दूला जाट की मृत्यु होने पर विरासत नामा0 नोला बिरदा के नाम स्वीकार किया गया। लादू पुत्र तुलसा व नाथू पुत्र रूग्गा द्वारा बैचान करने पर नामा0सं0 189 क्रेता रामेश्वर हनुमान पि दुर्गा अहीर हि0 1/2 स्वीकार किया गया। बिरदा पुत्र गोविन्दा जाट की मृत्यु होने पर नोजा पुत्र गोविन्दा हि0 3/16 व मंगला पुत्र गोविन्दा हि0 1/16 नामा0सं0 580 दर्ज किया गया। नोला व मंगला द्वारा अपना हिस्सा बैचान करने पर नामा0सं0 725 रामेश्वर हनुमान पि0 दुर्गाराम अहीर के नाम स्वीकार किया गया। सेडू पुत्र नानगा की मृत्यु होने पर विरासत का नामा0सं0 899 स्वीकार किया गया। न्यायालय ए.सी.एम. जयपुर के वाद संख्या 5/1994 डिक्री से नामा0सं0 937 हणूताराम पुत्र नानग राम जाट हि0 1/8 गंगा विधवा सेडू हि0 1/8 के नाम स्वीकार किया गया। रामेश्वर पुत्र दुर्गाराम अहीर की मृत्यु होने पर विरासत का नामा0सं0 1068 स्वीकार किया गया। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है नाबालिग की आराजी को अनुचित रूप से निजी खातेदारी में दर्ज किया गया है जिसे वापिस मंदिर काशीनाथ व शमती नाथ महादेव के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में भूमि माफी पुन्यार्थ मंदिर काशीनाथ गुरू अंजनी नन्दन वल्द उम्मा दत्त जाति ब्राहाम्ण काशी मोहल्ला व शमती नाथ महादेव के नाम से दर्ज है। कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाश्त अंकित है जो सम्वत् 2022–2025 की जमाबन्दी के कालम 4 में भूमि माफी पुन्यार्थ मंदिर काशीनाथ गुरू अंजनी नन्दन वल्द उम्मा दत्त जाति ब्राहाम्ण काशी मोहल्ला व शमती नाथ के इन्द्राज बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम न0 4 में कृषक के रूप में आराजी खसरा नं0 894 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 895 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा दर्ज कर दिया गया ।

नामान्तरकरण संख्या 129 से विक्रय करने पर लादू पुत्र तुलसा गोविन्दा पुत्र दूला नाथू पुत्र रूग्गा सेडू पुत्र नानगा जाति जाटन् जमाबन्दी 2027–2029 पर दर्ज रिकार्ड है। गोविन्दा पुत्र दूला जाट की मृत्यु होने पर विरासत नामा0 नोला बिरदा के नाम स्वीकार किया गया। लादू पुत्र तुलसा व नाथू पुत्र रूग्गा द्वारा बैचान करने पर नामा0सं0 189 क्रेता रामेश्वर हनुमान पि दुर्गा अहीर हि0 1/2 स्वीकार किया गया। बिरदा पुत्र गोविन्दा जाट की मृत्यु होने पर नोजा पुत्र गोविन्दा हि0 3/16 व मंगला पुत्र गोविन्दा हि0 1/16 नामा0सं0 580 दर्ज किया गया। नोला व मंगला द्वारा अपना हिस्सा बैचान करने पर नामा0सं0 725 रामेश्वर हनुमान पि0 दुर्गाराम अहीर के नाम स्वीकार किया गया। सेडू पुत्र नानगा की मृत्यु होने पर विरासत का नामा0सं0 899 स्वीकार किया गया। न्यायालय ए.सी.एम. जयपुर के वाद संख्या 5/1994 डिक्री से नामा0सं0 937 हणूताराम पुत्र नानग राम जाट हि0 1/8 गंगा विधवा सेडू हि0 1/8 के नाम स्वीकार किया गया। रामेश्वर पुत्र दुर्गाराम अहीर की मृत्यु होने पर विरासत का नामा0सं0 1068 स्वीकार किया गया जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस मंदिर काशीनाथ व शमती नाथ महादेव के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पेरोकार सराकर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में भूमि माफी पुन्यार्थ मंदिर काशीनाथ गुरू अंजनी नन्दन वल्द उम्मा दत्त जाति ब्राहाम्ण काशी मोहल्ला व शमती नाथ महादेव के नाम से दर्ज है। कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाश्त अंकित है जो सम्वत् 2022–2025 की जमाबन्दी के कालम 4 में भूमि माफी पुन्यार्थ मंदिर काशीनाथ गुरू अंजनी नन्दन वल्द उम्मा दत्त जाति ब्राहाम्ण काशी मोहल्ला व शमती

नाथ के इन्द्राज बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम न0 4 में कृषक के रूप में अंजनीनन्दन पुत्र उमादत्त साकिन बनारस व कालम सं. 5 में आराजी खसरा नं0 894 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 895 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा दर्ज कर दिया गया । नामान्तरकरण संख्या 129 से विक्रय करने पर लादू पुत्र तुलसा गोविन्दा पुत्र दूला नाथू पुत्र रूग्गा सेडू पुत्र नानगा जाति जाटन् जमाबन्दी 2027–2029 पर दर्ज रिकार्ड है। गोविन्दा पुत्र दूला जाट की मृत्यु होने पर विरासत नामा0 नोला बिरदा के नाम स्वीकार किया गया। लादू पुत्र तुलसा व नाथू पुत्र रूग्गा द्वारा बैचान करने पर नामा0सं0 189 क्रेता रामेश्वर हनुमान पि दुर्गा अहीर हि0 1/2 स्वीकार किया गया। बिरदा पुत्र गोविन्दा जाट की मृत्यु होने पर नोला पुत्र गोविन्दा हि0 3/16 व मंगला पुत्र गोविन्दा हि0 1/16 नामा0सं0 580 दर्ज किया गया। नोला व मंगला द्वारा अपना हिस्सा बैचान करने पर नामा0सं0 725 रामेश्वर हनुमान पि0 दुर्गाराम अहीर के नाम स्वीकार किया गया। सेडू पुत्र नानगा की मृत्यु होने पर विरासत का नामा0सं0 899 स्वीकार किया गया। न्यायालय ए.सी.एम. जयपुर के वाद संख्या 5/1994 डिक्री से नामा0सं0 937 हणूताराम पुत्र नानग राम जाट हि0 1/8 गंगा विधवा सेडू हि0 1/8 के नाम स्वीकार किया गया। रामेश्वर पुत्र दुर्गाराम अहीर की मृत्यु होने पर विरासत का नामा0सं0 1068 स्वीकार किया गया और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता है। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी पुण्यार्थ मन्दिर काशीनाथ व शमतीनाथ महादेव की खुदकाश्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी पुण्यार्थ मन्दिर काशीनाथ व शमतीनाथ महादेव की खुदकाश्त खातेदारी दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में नाबालिग माफी पुण्यार्थ मन्दिर काशीनाथ व शमतीनाथ महादेव की बतौर काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। माफी मंदिर की भूमि के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में कलक्टर को अपनी राय के

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेन्स किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र प0क्रः–3(2)राज–6/ 2007/14 दिनांक 24.05.2007 को ज्यौं की त्यौं अंकित किया जाना समीचीन समझते है "1. राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है। बलदेव बनाम मूर्ति मंदिर श्री कृष्ण जी महाराज आ.आर.डी 1994 में निर्णित किया गया है कि मंदिर में पुजारी कौन होगा व उसके उत्तराधिकार के संबंध में विवाद दीवानी न्यायालयों द्वारा ही तय किया जा सकता है। मंदिर मूर्ति के खाते में पुजारी या सेवायत का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका काफी दुरूपयोग होता है। राजस्व रिकार्ड में पुजारी अथवा सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। मूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के संबंध में अनावश्यक मुकदमें बाजी को रोकने के लिए परिपत्र दिनांक 13.12.1991 में निम्न निर्देश दिये गये थे :–

(i) भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी सा सिवायत का नाम नहीं लिखा जावे।

(ii) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मो में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।

(iii) जो जमाबंदी बन चुकी है। तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे।

2. जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मन्दिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मन्दिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है वह किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों में जिनमें मन्दिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।

3. मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया

गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।

4. ऐसी भूमि के सम्बंध में जो मन्दिर माफी की थी के सम्बंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 9 निम्न प्रकार है:—

"जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार— जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

5. जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि—सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

6. वर्तमान में इस विषय में क्रम संख्या 5 पर अंकित प्रकरणों में जहां विभिन्न राजस्व न्यायालयों में जो प्रकरण लंबित है तथा राजस्व बोर्ड के समक्ष जो संदर्भ (reference) लंबित है। उन प्रकरणों में संबंधित अधिकृत अधिकारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप विधिक स्थिंति से अवगत कराते हुए उन प्रकरणों/संर्दभों को निस्तारण करायेंगे।"

निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक राम/प—63/न्याय/स्था/05/636—689 दिनांक 06.01.2010 द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलक्टर, समस्त राजस्व अपील अधिकारी को लिखा गया है कि मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी उनमे उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि—सम्मत नहीं है।

राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तरण खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। अतः विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का विभिन्न स्तरों पर त्रुटिवश संदर्भ हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तद्नुसार ही कराया जाना सुनिश्चित करावें।

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प03(2)राज–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भू–प्रबन्ध अधिकरियों, राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ–साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 13.12.1991 की मंशा के विरूद्ध की गई कार्यवाही थी। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम संख्या 5 में दर्ज इन्द्राज की निरन्तरता में ही राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाना था। यह सही है कि जागीर रिज्यूम हो जाने के कारण कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता में सरकार का इन्द्राज किया जावेगा परन्तु यह भी सही है कि जहां नाम उपभोक्ता कॉलम में माफी मंदिर का इन्द्राज है और कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त अंकित है ऐसी परिस्थिति में खुदकाश्त वाले कॉलम में मंदिर का नाम दर्ज किया जावेगा। राजस्व अभिलेखों में माफी पुण्यार्थ मन्दिर काशीनाथ व शमतीनाथ महादेव का नाम दर्ज करने के बजाय बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये पुजारियों के नाम दर्ज किये गये है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। राजस्व अभिलेख में बिना विधिक अधिकार पुजारियों के नाम दर्ज किये जाने के फलस्वरूप इनकी फौतगी पर वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है व पुजारी के वारिस द्वारा बैचान किये जाने के फलस्वरूप क्रेता के नाम वादग्रस्त आराजी की खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार माफी पुण्यार्थ मन्दिर काशीनाथ व शमतीनाथ महादेव नाबालिग की खुदकाश्त आराजी को विधिक प्रावधानों के विरूद्ध एवं बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाये पुजारियों के नाम दर्ज किया गया है जो प्रारंभ से शून्य है। शून्य आधारित इन्द्राज के फलस्वरूप माफी पुण्यार्थ मन्दिर काशीनाथ व शमतीनाथ महादेव की खुदकाश्त आराजी का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में क्रेता के नाम दर्ज है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये पुजारी के नाम तत्पश्चात पुजारी द्वारा बैचान किये जाने पर क्रेतागण व इनके वारिसों के नाम किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उक्त

न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर की

विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 894 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा, आराजी खसरा नंबर 895 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा के सम्बन्ध में पुजारियों/पुजारियों के वारिसों/क्रेता के नाम दर्ज इन्द्राज जरिये नामान्तरकरण ग्रामपचार एवं इससे संबंधित अन्य इन्द्राज को निरस्त कर वापिस मन्दिर काशीनाथ व शमतीनाथ महादेव के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 15.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मेघराज सिंह मीना)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर